कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 3267 /FP/UK/Others/9959/2015 देहरादूनःदिनांकः 26 मार्च, 2018

सेवा में,

मै0 जंपिन एडवेंचर्स प्राईवेट लि0,
मोहनचट्टी, पो0 स्वर्गाश्रम,
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– जनपद–पौड़ी गढ़वाल में जंपिन एडवेंचर्स प्राईवेट लि0 के पक्ष में 0.157 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन फाईल संख्या– FP/UK/Others/9959/2015)

सन्दर्भः–इस कार्यालय की पत्र संख्या–3212 दिनांक 24–03–2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन एवं नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ पायी गई :–

1. प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक 28–10–2009 के द्वारा 5 वर्ष हेतु लीज स्वीकृत की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक 08–02–2015 को समाप्त हो चुकी है। आपके द्वारा प्रस्ताव समय से प्रेषित न किये जाने के कारण उक्त प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के एक्ट का उल्लंघन होता है। अतः उल्लंघन के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही की सूचना प्रस्ताव में संलग्न की जाय।
2. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पत्र दिनांक 09–02–2010 एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 9–02–2010 की प्रति भी संलग्न की जाय।
3. याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार दिशा–निर्देशानुसार वन भूमि का मूल्य एवं लीज रेन्ट जमा कराये जाने की सूचना भी प्रेषित की जाय।
4. उल्लंघन दण्डस्वरूप दुगने अवनत वन क्षेत्र की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न की जाय।
5. भू–वैज्ञानिक की आख्या राजकीय भू–वैज्ञानिक से प्राप्त कर संलग्न करें।
6. राष्ट्रीय पार्क से दूरी के प्रमाण–पत्र में 6 किमी0 से अधिक बताई गयी है के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें।
7. ऑनलाईन प्रपत्र में घनत्व 0.20 है तद्नुसार एन0पी0वी0 का आंकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. प्रस्ताव तीन प्रतियों में मूल प्रति सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. परियोजना में रिक्त पड़े स्थानों की 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना भी संलग्न की जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त ऑनलाईन कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें।
10. परियोजना में निर्मित कार्यों का मदवार क्षेत्रफल आंकलन सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।

तद्नुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

भवदीय,
For
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्याः– 3267 / FP/UK/Others/9959/2015 दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

For
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी